कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड बाराबंकी

सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या-01/2015-16

महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से प्रमुख अभियन्ता (यॉं0), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधीनस्थ नलकूप (पूर्व) परिक्षेत्र के नलकूप मण्डल, फैजाबाद के नियंत्रणाधीन नलकूप खण्ड, बाराबंकी से संबंधित आइटमवार उपलब्ध निष्प्रयोज्य सामग्री, यथा जला हुआ सुपर इनामिल्ड तॉबे का तार, पी0वी0सी0 कोटेड जला तॉबे का तार, स्टील स्क्रैप, गन मेटल स्क्रैप, कास्ट आयरन स्क्रैप आदि की सार्वजनिक नीलामी तालिका में अंकित तिथि को नलकूप खण्ड, बाराबंकी के कार्यालय प्रांगण में की जायेगी।

बोलीदाताओं को निर्धारित शर्तो का पालन करना होगा। सार्वजनिक नीलामी वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1, नियम 260 ए के परिशिष्ट 19 डी में उल्लिखित नियम व शर्तो के अधीन होगी। इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नीलामी की नियत तिथि **दिनांक 16.03.2016 को प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 13.00 बजे तक** प्रत्येक लाट के लिए निर्धारित टोकन मनी की धनराशि नकद जमा करनी होगी। जिसकी जांचोपरान्त बोलीदाताओं की सूची निर्गत की जायेगी तथा उसी दिन **अपराह्न 14.00 बजे** से नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। नियमानुसार नियत तिथि को सूची में अंकित व्यक्ति/ फर्म को ही बोली बोलने का अधिकार प्राप्त होगा। नीलामी में कोई भी एक बोली अथवा समस्त बोली बिना कारण बताये अस्वीकार/ निरस्त करने का अधिकार नीलामीकर्ता/ अध्यक्ष के पास पूर्णरूप से सुरक्षित रहेगा। नीलामी हेतु अंकित सामग्री की मात्रा को घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	जला हुआ सुपर इनामिल्ड तांबे का तार (लाट सं0-01)	जला हुआ पी0वी0सी0 कोटेड तांबे का तार (लाट सं0-02)	आयरन स्क्रैप (लाट सं0-03)	गन मेटल स्क्रैप (लाट सं0-04)	नीलामी की प्रस्तावित तिथि
1	2	3	4	5	6	9
1	**नलकूप खण्ड बाराबंकी**	0.79 मी0टन	3.76 मी0टन	1.90 मी0टन	0.70 मी0टन	**16.03.16**
टोकन मनी की धनराशि		रू0 26,000.00	रू0 92,000.00	रू0 3,500.00	रू0 20,000.00	

-: नियम एवं शर्ते :-

1. नीलामी में भाग लेनें से पूर्व प्रत्येक लाट के लिए तालिका में अंकित टोकन मनी (धनराशि) संयोजक/ सहायक अभियन्ता, प्रथम उपखण्ड, नलकूप खण्ड, बाराबंकी के पास जमा करके टोकन प्राप्त करना होगा। केवल टोकन धारक ही नीलामी में भाग ले सकेगें। यह धनराशि नीलामी समाप्त होनें पर समायोजित/ वापस कर दी जायेगी।
2. नीलामी का विवरण www.upgov.nic.in एवं www.barabanki.nic.in तथा सिंचाई विभाग की वेबसाईट www.idup.gov.in पर भी प्राप्त किया जा सकता है।
3. सामग्री का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में कार्य अवधि में खण्डीय कार्यालय के स्टोर में सहायक अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता की अनुमति से किया जा सकता है।
4. सामग्री की उपरोक्त मात्रायें अनुमानित है तथा यह घट अथवा बढ़ सकती हैं।
5. सामग्री की नीलामी 'जहां है जैसी है' के आधार पर की जायेगी, नीलामी की धनराशि में व्यापार कर अतिरिक्त देय होगा।
6. उच्चतम बोलीदाता को सामग्री के मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट द्वारा नीलामी समाप्त होनें के 03 दिवस के अन्दर '**अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड बाराबंकी**' के पक्ष में बाराबंकी पर देय होगी, अन्यथा टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और नीलामी द्वितीय उच्चतम बोलीदाता अथवा तदानुक्रम में अगले उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में की जा सकती है।
7. नीलामी की विस्तृत शर्ते नीलामी प्रारम्भ होनें से पूर्व नीलामी स्थल पर सूचित की जायेंगी।
8. नीलामी के उपरान्त उच्चतम् बोलीदाता को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त सामग्री की शेष धनराशि, व्यापार कर एवं अन्य करों के साथ जमा करनी होगी। पूर्ण धनराशि मय समस्त कर जमा करने के उपरान्त ही भण्डार से सामग्री निर्गत की जायेगी। उक्त के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड बाराबंकी।

प्रेषित,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ–01

पत्रांक :– 322 /न0ख0बा0/निविदा/ दिनांकः बाराबंकी, फरवरी 18 , 2016

विषयः– सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या–03/2015–16 का प्रकाशन समाचार पत्रों में कराये जानें के सम्बन्ध में।

महोदय,

नलकूप खण्ड बाराबंकी में निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी से सम्बन्धित सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या–01/2015–16 की 07 प्रतियां सी0डी0 सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया इस सूचना का प्रकाशन लखनऊ/फैजाबाद/बाराबंकी में प्रकाशित किन्ही दो प्रमुख (ख्याति प्राप्त) हिन्दी समाचार पत्रों में दो–दो दिनों के अन्तराल पर प्रकाशित करानें का कष्ट करें तथा समाचार पत्रों की एक–एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को प्रेषित करानें की कृपा करें। ।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

1. नीलामी सूचना।
2. एक अदद सी0डी0।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड बाराबंकी

पृठांकित पत्रांक– (1)/न0ख0बा0/नीलामी/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख अभियन्ता (यॉ0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
3. मुख्य अभियन्ता, नलकूप (पूर्व), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, फैजाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल फैजाबाद।
6. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ को नीलामी सूचना की साफ्ट कापी (सी0डी0) सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि नीलामी सूचना को विभागीय वेबसाइट www.idup.gov.in पर अपलोड कराने की कृपा करें।
7. एन0आई0सी0, (N.I.C.) बाराबंकी को अल्प कालीन निविदा सूचना वेबसाइट http://upgov.up.nic.in एवं http://barabanki.nic.in पर अपलोड करने हेतु। **(सी0डी0 सहित संलग्न)**
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बाराबंकी।
9. खण्डीय लेखाधिकारी, नलकूप खण्ड बाराबंकी।
10. सहायक अभियन्ता, प्रथम उपखण्ड, नलकूप खण्ड बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0, लखनऊ से सम्पर्क कर नीलामी सूचना का प्रकाशन सुनिश्चित करें।
11. सहायक अभियन्ता, द्वितीय/तृतीय उपखण्ड, नलकूप खण्ड बाराबंकी।
12. नोटिस बोर्ड हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड बाराबंकी